



संख्या : _____ / जी०एस० / शिक्षा / A3-77(2)/2020

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय:उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 22 मार्च, 2021

महोदय,

कृपया कुलपति के पत्र संख्या: 1701/मान्यता/के०यू०/2020-21 दिनांक 14.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलपति द्वारा राजकीय महाविद्यालय, भिकियासैण, अल्मोड़ा को बी०कॉम० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020-21 से स्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा० कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन/पूर्व स्वीकृति सत्र दर सत्र के आधार पर निम्न उपबन्ध के साथ प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय महाविद्यालय, भिकियासैण, अल्मोड़ा	बी०कॉम०	80 सीट	सत्र 2020-21

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

2- महाविद्यालय को स्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने के निर्णय पर यू०जी०सी० विनियमानुसार शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ की मानकानुसार नियमित/सरकारी वेतनमानों पर स्थायी आधार पर नियुक्ति एवं राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं प्रमाणन समिति (NAAC) प्रमाण पत्र की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त अग्रेत्तर सत्र हेतु विचार किया जायेगा।

3- महाविद्यालय के जिन मानकों के पूर्ण कराने के सम्बन्ध में शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित हो, उनके सम्बन्ध में इस सचिवालय के पत्र सं०- 2565 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के क्रम में शासन से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।
तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3509 (1)/जी०एस०/शिक्षा/A3-77(2)/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, भिकियासैण, अल्मोड़ा।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के अपर सचिव।